आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
15.4.17	**न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया** नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0 – 24/1997–98 82/2004–05 107/2014–15 1. श्री शिव नारायण भगत व सूर्य नारायण भगत व रामानंद भगत व उमानंद भगत, पिता–स्व0 बिहारी लाल भगत 2. मीरा कुमारी व गीता कुमारी, पिता–स्व0 बिहारी लाल भगत, सभी सा0–अररिया बैरगाछी, थाना–अररिया, जिला–अररिया 3. लालवती देवी, पिता–स्व0 बिहारी लाल भगत, पति–रधुनाथ भगत, सा0–रौटा, थाना–रौटा, जिला–पूर्णियाँ 4. लीला देवी, पिता–स्व0 बिहारी लाल भगत, पति–नागेश्वर भगत, सा0–प्रतापगंज, जिला–सहरसा – आवेदकगण **बनाम** 1. श्री जवाहर लाल भगत, पिता–स्व0 मोती लाल भगत, सा0–अररिया बस्ती, थाना–अररिया, जिला–अररिया 2. श्री नंदलाल सिंह, पिता–सोनाथ सिंह, सा0–अररिया बस्ती, थाना–अररिया, जिला–अररिया 3. तजमूल हुसैन, पिता–नजमुल हुसैन, सा0–अररिया बस्ती, टोला–अररिया, थाना–अररिया, जिला–अररिया 4. अनामुल हक व नजमुल हक व अनवारूल हक व शेख मजीद, पिता–स्व0 शे0 बुन्नी, सभी सा0–अररिया बस्ती, टोला–अररिया, थाना–अररिया, जिला–अररिया 5. गोपाल भगत, पिता–ठाकुर प्रसाद भगत 6. मनोज कुमार भगत, पिता–रामसुंदर भगत 7. लाल बाबु भगत, पिता–राम सुंदर भगत 8. मोहन लाल साह व जय मंगल साह, पिता–नंद लाल साह 9. गुणानंद साह, पिता–दौरी साह सभी सा0–अररिया बस्ती, थाना–अररिया, जिला–अररिया 10. कन्हैया लाल भगत, पिता–स्व0 विश्वनाथ भगत, सा0–किशनगंज, थाना–किशनगंज, जिला–अररिया **आदेश** प्रस्तुत नामांतरण पुनरीक्षण वाद आवेदकगणों की ओर से नामान्तरण अपील वाद सं0 56/1983–84 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 14.01.1988 के विरूद्ध समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दाखिल किया गया।	

समाहर्त्ता, अररिया द्वारा इसे दिनांक 16.03.1988 को प्रविष्ट करते हुए वादग्रस्त भूमि के दखल कब्जा के बिन्दु पर अंचल अधिकारी, अररिया से स्थल जाँच कब्जा के बिन्दु पर प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को दिनांक 23.02.2014 को हस्तांतरित किया गया है, जो उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 961/वि0, दिनांक 10.06.2014 द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। इस कार्यालय के पत्रांक 1252/रा0, दिनांक 04.08.2014 द्वारा अंचलाधिकारी, अररिया से स्थल जाँच प्रतिवेदन दखल–कब्जा के बिन्दु पर माँग की गई। अंचलाधिकारी, अररिया के पत्रांक 1066, दिनांक 04.05.2015 द्वारा स्थल जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

जमीन का विवरण

मौजा	खाता सं0	खेसरा	रकवा
अररिया	246	–	6.11¾ ए0

पुनरीक्षणकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के पूर्वज बिहारी लाल भगत वो कन्हैया लाल भगत द्वारा प्रश्नगत भूमि निबंधित दस्तावेज सं0 5262, दिनांक 25.4.1960 द्वारा विक्रेता बालेश्वर भगत एवं माजी लाल भगत से क्रय किया गया और खरीदगी के दौरान उन्हें फरीकेनों के बीच खानगी बँटवारा हो गया। बँटवारा के मुताबिक ही नया खतियान बना तथा अन्य हिस्सेदार के साथ–साथ बिहारी लाल भगत एवं कन्हैया लाल भगत के नाम भी कब्जावारी दर्ज हुआ। इसी केवाला के आधार पर बिहारी लाल भगत (पूर्वज) द्वारा अंचल पदाधिकारी, अररिया के समक्ष दाखिल–खारिज हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया गया, जिसका नामान्तरण वाद सं0 252/1982–83 दर्ज हुआ। जिसके विरूद्ध विपक्षी द्वारा अंचल अधिकारी के न्यायालय में आपत्ति दायर किया गया। जिसके आधार पर अंचलाधिकारी, अररिया ने आवेदक के कागजात को गैर कानूनी ढ़ंग से खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध उनके द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 56/1983–84 दाखिल किया गया। जिसे भी विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.1.1988 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद को पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा लाया गया है।

इनका यह भी कहना है कि विपक्षीगणों द्वारा अंचलाधिकारी, अररिया एवं विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में आवेदकगण के दिनांक 25.04.1960 के केवाला को यह कहकर विरोध किया गया है कि यह केवाला बेनामी है तथा गलत है, क्योंकि इस केवाला में अंकित दूसरे खरीदार कन्हैया लाल भगत द्वारा किसी केश में आवेदक का साथ नहीं दिया गया। जबकि 1960 के केवाला को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है और न ही उसे अवैध घोषित किया गया है। बेनामी ट्रांजेक्शन प्रतिरोध अधिनियम 1988 की धारा 4 तथा उपधारा 4(1), 4(2) के अनुसार

बेनामी धारित सम्पत्ति के विरूद्ध कोई वाद, दावा या कार्रवाई नहीं होगी। अतः उक्त बेनामी एक्ट 1988 के अनुसार विपक्षीगण बेनामी केवाला होने का कोई दावा नहीं कर सकते है। विपक्षीगणों का यह कहना कि इस वाद से संबंधित खाता, खेसरा की जमीन से संबंधित दिवानी वाद सं0 12/84, 13/84, 260/2003 तथा दिवानी वाद सं0 38/2005 सक्षम न्यायालय में दाखिल है, जबकि दोनों तरह के केशों का पक्षकार एवं ब्यौरा अलग–अलग है तथा दिवानी वाद सं0 260/2003 समय पर पैरवी नहीं होने के कारण एवं डिफाल्ट के कारण बंद हुआ है, जिसे पुनः स्थापित कराने के लिये विविध वाद सं0 8/13 सक्षम न्यायालय में लंबित है।

यह कि गुणानंद साह द्वारा जवाहर लाल भगत से दिनांक 06.01.1984 ई0 को खेसरा सं0 2211, रकवा 5 $^{1}/_{4}$ डी0 भूमि गलत ढ़ंग से लिखा लिया गया तथा भाड़ा देना बंद कर दिया गया तो गुणानंद साह एवं सुरेन्द्र साह के विरूद्ध मुकदमा दायर किया गया जो न्यायालय में लंबित है तथा उन लोगों को उस जगह से हटाने के लिये एभिक्सन सूट किया गया है जो 1984 से चल रहा है।

इनका यह भी कहना है कि वर्ष 1984 में उक्त भूमि लाल बाबू भगत एवं मनोज कुमार भगत द्वारा गलत रूप से जवाहर लाल भगत एवं उसकी एक बहन राम कुमारी देवी से लिखवाकर उसपर जबरदस्ती कब्जा जमा लिया गया, जिसके विरूद्ध दिवानी वाद सं0 38/05 दायर किया गया है। वादग्रस्त भूमि के दखल–कब्जा के संबंध में आवेदक के आवेदन के आलोक में न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2014 को अंचलाधिकारी, अररिया से नापी कराकर जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन पत्रांक 248, दिनांक 02.02.2015 द्वारा प्राप्त प्रथम जाँच प्रतिवेदन पर पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा आपत्ति दर्ज किये जाने के पश्चात् पुनः अंचलाधिकारी से स्थल दखल कब्जा संबंधी प्रतिवेदन की माँग की गई। अंचलाधिकारी, अररिया द्वारा दिनांक 30.05.2015 को दूसरा प्रतिवेदन इस न्यायालय को भेजा गया। इस न्यायालय में आवेदक द्वारा दाखिल कुल पाँच केवाला दिनांक 25.04.1960, 09.02.1984, 17.01.1987, 18.01.1989 एवं 02.12.2008 के विरूद्ध विपक्षीगणों द्वारा किसी दिवानी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गई। जहाँ तक विपक्षी द्वारा बँटवारा का जिक्र किया जा रहा है, वह बँटवारा गलत है, क्योंकि उसमें विपक्षी जवाहर लाल भगत का ही मात्र हस्ताक्षर है। अन्य फरिकों का हस्ताक्षर नहीं है। इसलिये यह एक मनगढ़ंत कागज है। अतः आवेदक के केवाला को सही मानते हुए आवेदक के पक्ष में दाखिल–खारिज किये जाने का आदेश दिये जाने का अनुरोध करते है।

विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि पुनरीक्षणकर्त्ता जो स्वर्गीय बिहारी लाल भगत के वारिशान है उन्हें वाद भूमि की कोई जानकारी नहीं है, साथ ही नामान्तरण पुनरीक्षण वाद पत्र के अंतिम पृष्ठ पर वाद भूमि का कोई खाता, खेसरा या रकवा अंकित नहीं है जो उनके गलत दावे को सिद्ध करता है।

15.4.17

इनका यह भी कहना है कि इस नामान्तरण रिभिजन वाद पत्र के पारा सं0 5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह नामान्तरण रिभिजन बिहारी लाल भगत के हिस्से की जनीन 3.5 $^{7}/_{8}$ एकड़ के लिए दायर किया गया है एवं पारा 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्व0 बिहारी लाल भगत (आवेदनकर्त्ता के मोरिस) ने अपने जीवनकाल में ही निबंधित केवाला दिनांक 09.02.1984 के द्वारा 2.52 एकड़ जमीन अब्दुल सलाम, पिता–गनी मोहम्मद, मो0 अलीम, पिता–शे0 फरजन अली, प्रेमनाथ झा, पिता–त्रिलोक नाथ झा, के साथ बिक्री कर दिये थे।

इनका यह भी कहना है कि उपरोक्त कथन के अनुसार यह म्यूटेशन रिभीजन आवेदन पत्र सिर्फ 53$^{7}/_{8}$ डी0 के लिए दायर किया गया है। क्योंकि अर्जी के पारा 5 के मुताबिक बिहारी लाल भगत को कथित जमीन 3.5$^{7}/_{8}$ एकड़ में बिक्री जमीन अर्जी के पारा नं0 3 में अंकित जमीन 2.52 एकड़ घटाने के बाद शेष जमीन 53$^{7}/_{8}$ डी0 बचता है।

यह कि विपक्षी सं0 1 एवं उनके खरीददारान का दखल वाद भूमि खाता सं0 249 पर है, जिसके लिए स्व0 बिहारी लाल भगत की पत्नी, पुत्र वगैरह एवं उनके दोनों भाई राम जतन भगत एवं शिवपूजन भगत ने न्यायालय सब जज अररिया में दिवानी मो0 नं0 260/2003 वाद भूमि खाता सं0 249, खेसरा सं0 2211 के संबंध में वर्त्तमान विपक्षी गुणानन्द साह को मुदालय नं0 2, विपक्षी जवाहर लाल भगत को मुदालय नं0 10, विपक्षी लाल बाबू भगत को मुदालय नं0 30 एवं विपक्षी मनोज कु0 भगत को मुदालय नं0 31 एवं अन्य खरीददारान के विरूद्ध इस मोकदमा से संबंधित फर्जी केवाला दिनांक 25.04.1960 का उल्लेख अर्जी के पेज नं0 7 एवं 8 में करते हुए अपने को बेदखल होने की बात को स्वीकार करते हुए सब जज कोर्ट, अररिया से दखल दिलाने हेतु उक्त दिवानी मोकदमा दायर किया है। जिसके रिलिफ "बी" एवं "डी" निम्नांकित है :–

Reliefs :-

(b) The court further be pleased to hold and declare that the defendant no. 1 is in illegal possession over 2 dec. of suit land from its northern side and the defendants no. 2 and 3 are in illegal possession over $7^{1}/_{4}$ decimals and 3 decimals of suit land respectively from its south side and sale-deed created in their favour do not create any right in favour of defendants 1st party and the same are not binding against the plffs.

(d) That on above adjudication the court be pleased to deliver vaccant possession of the dispossessed area of the suit land by removing constructions through the process of the court.

इनका यह भी कहना है कि बिहारी लाल भगत की पत्नी सीता देवी एवं बिहारी लाल भगत के दोनों भाई राम जतन भगत तथा शिव पूजन भगत ने वर्त्तमान

15.4.17

विपक्षी लाल बाबू भगत एवं मनोज कु0 भगत पर वाद भूमि खाता नं0 249, खेसरा नं0 1748 के संबंध में दिवानी मो0 नं0 38/05 एवं 117/05 न्यायालय मुंसिफ, अररिया में दायर करते हुए इस मोकदमा से संबंधित फर्जी केवाला दिनांक 25.04.1960 का उल्लेख करते हुए जमीन पर दखल वापस करने का दिवानी मोकदमा दायर किया है, जो दिवानी के अर्जी के पारा नं0 4 में अंकित है।

इनका यह भी कहना है कि स्व0 बिहारी लाल भगत की पत्नी मसो0 सीता देवी एवं उनके लड़के शिव नारायण भगत एवं अन्य वारिसान की ओर से दायर यह म्यूटेशन रिभिजन विपक्षी जवाहर लाल भगत एवं हमारे खरीददार के विरूद्ध विधिवत अथवा तथ्य के आधार पर निर्वाह योग्य नहीं रहने के कारण खारिज होने योग्य है।

विपक्षी का यह भी कहना है कि मूल नामान्तरण वाद सं0 225/1982–83 जो अंचल पदाधिकारी, अररिया के समक्ष दायर हुआ उसमें सुनवाई के दौरान अंचल अधिकारी, अररिया ने स्वयं सरजमीन जाँच करने के बाद खाता सं0 249 की संबंधित वाद भूमि 6 एकड़ 11¾ डी0 जमीन पर हम जवाहर लाल भगत एवं हमारे खरीददार वर्त्तमान विपक्षीगण के दखल पाते हुए बिहारी लाल भगत के दावे को खारिज किया गया वह बिल्कुल वैद्य है। साथ ही वर्त्तमान समय में भी वर्ष 2015 ई0 में अंचल अधिकारी, अररिया ने भी पुनः भूमि पर हम विपक्षीगण का दखल पाये तथा पुनरीक्षणकर्त्ता का दावा गलत पाये। इसी प्रकार न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा नामान्तरण अपील सं0 56/1983–84 को सुनवाई एवं सभी कागजात के अवलोकन को वैद्य पाते हुए दिनांक 14.01.1988 ई0 को आवेदक के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, अररिया द्वारा पारित आदेश को सम्पुष्ट किया गया वह बिल्कुल वैद्य है।

इनका यह भी कहना है कि हम विपक्षी जवाहर लाल भगत के पिता–मोती लाल भगत, पिता–स्व0 जानकी भगत एवं बालेश्वर भगत, पिता–स्व0 गणेश भगत वर्ष 1959 ई0 में महाजन से कुछ कर्ज लिये थे और उसी कर्ज के क्रम में महाजन की नियत उनके बसोवासी जमीन के अगल–बगल की जमीन एवं आमबाड़ी की जमीन इत्यादि को हड़पने के लिए लगी थी तथा महाजन उसे किसी प्रकार हड़पना चाहते थे। जिस कारण वे दोनों महाजन से इस जमीन को बचाने के लिए एक फर्जी केवाला बिना मूल्य का अपने चचेरा भाई बिहारी लाल भगत, पिता–कमला प्रसाद भगत एवं कन्हाई लाल भगत, पिता–विश्वनाथ भगत के नाम से अपनी वसोवासी जमीन, बाड़ी–झाड़ी, आम बाग तथा अररिया बैरगाछी चौक तथा घर के नजदीक की सभी जमीन जिसका कुल रकवा 6 एकड़ 11¾ डी0 बहुत कम कीमत जरसेम्मन अर्थात 1995 रू0 में ता0 25.04. 1960 ई0 को तामिल कर रख दिया था, जिससे कि महाजन इसे हड़प नहीं सके और रजिस्ट्री ऑफिस से हम विपक्षी के पिता–मोती लाल भगत ने उस मूल केवाला को छुड़ा कर अपने घर में रख लिये। उसके बाद उक्त बालेश्वर भगत निःसंतान स्वर्गीय हुए तथा

 15.417

हम विपक्षी जवाहर लाल भगत उनके उत्तराधिकारी हुए तथा कुछ ही दिनों के अन्तराल में हमारे पिता मोती लाल भगत की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त बिहारी लाल भगत के पिता–कमला प्रसाद भगत जो रिश्ते में दादा लगते थे, ने हम विपक्षी जवाहर लाल भगत के नाबालिग रहने के कारण उनके जगह–जमीन से संबंधित कागजात का देखभाल करने लगे थे और इसी देखभाल के क्रम में उनके द्वारा मूल केवाला किसी प्रकार से ले लिया गया। जिसकी जानकारी उन्हें (जवाहर लाल भगत को) तब हुई जब अपीलकर्त्ता बिहारी लाल भगत उस मूल केवाला के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र अंचल कार्यालय, अररिया में दाखिल किये। दोनों पक्ष एक ही दादा के पोते एवं परपोते है जो इस मोकदमा के अर्जी के पारा नं0 1 के अंतिम चार पंक्तियों से भी स्पष्ट है तथा संयुक्त खतियान, अन डिभाइडेड शेयर का दर्ज है जो उनके अर्जी के ग्राउण्ड के पारा नं0 3 में भी अंकित है तथा उक्त केवाला दिनांक 25.04.1960 को फर्जी केवाला सिर्फ महाजन से जमीन को बचाने के लिए तामिल किया गया वह बेनामी एक्ट के अन्तर्गत नहीं आता है, क्योंकि फर्जी केवाला एवं बेनामी केवाला में अन्तर है।

इनका यह भी कहना है कि बिहारी लाल भगत या कन्हाई भगत को उक्त फर्जी वाला जमीन से कोई सरोकार रहता तो वे 22–23 वर्षों तक उस केवाला का दाखिल–खारिज कराये बगैर चुपचाप बैठे नहीं रहते, जिससे स्पष्ट है कि उक्त फर्जी केवाला वाली जमीन की उन्हें कोई जानकारी पूर्व में नहीं थी। वर्ष 1981 ई0 में सभी फरीकेन के बीच संयुक्त मरोसी जमीन के लिए विपक्षी जवाहर लाल भगत तथा उक्त बिहारी लाल भगत के पिता–कमला प्रसाद भगत वो युगल भगत, कन्हैया भगत वगैरह के बीच जो आपसी तफरोक रोल बंटवारा (थरैया बंटवारा) हुआ उसमें भी इस फर्जी केवाला से संबंधित जमीन उनके (विपक्षी) हिस्से में दिया गया तथा इस बंटवारा पर स्वयं कमला प्रसाद भगत जो आवेदनकर्त्ता (अपीलकर्त्ता) बिहारी लाल भगत के पिता है, ने अपना हस्ताक्षर किया और अन्य फरीकों ने भी हस्ताक्षर किये है, जिससे कि उक्त फर्जी केवाला से संबंधित जमीन विपक्षी जवाहर लाल भगत एवं उनके खरीददार का ही दखल कब्जा एवं अधिकार सिद्ध करता है।

इनका यह भी कहना है कि मूल आवेदनकर्त्ता बिहारी लाल भगत अकेले व्यक्ति ने अंचल अधिकारी, अररिया के समक्ष खाता सं0 249 का कुल रकवा 6 एकड़ 11¾ डी0 पर नामान्तरण केश दायर किया जबकि दूसरा केवालादार कन्हाई लाल भगत ने गलत कार्य करने से इन्कार कर दिया तथा जाँच में भी अंचल अधिकारी, अररिया ने जवाहर लाल भगत एवं उनके खरीददारान का दखल पाया तथा नामान्तरण अपील सं0 56/1983–84 में भी अकेले बिहारी लाल भगत ने खाता सं0 249 का फर्जी केवाला में अंकित 6 एकड़ 11¾ डी0 जमीन के लिए अपील दायर किया, जिसमें कन्हाई लाल भगत ने गलत कार्य के लिए उसका साथ नहीं दिया तथा न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया ने दिनांक 14.01.1988 ई0 को उसे खारिज कर दिया जो बिल्कुल

15.4.17

वैद्य है।

इनका यह भी कहना है कि पुनरीक्षणकर्त्ता बिहारी लाल भगत एवं उनके पिता कमला प्रसाद भगत वगैरह के द्वारा जो भू–हदबंदी मो0 नं0 32/1973–74 अररिया अंचल का भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में धारित जमीन का भू–विवरणी दाखिल किया गया है और जिसमें खतियान में अंकित पाँच आना हिस्सा के मुताबिक कुल रकवा 25 एकड़ 11 डी0 है उस भू–विवरणी में इस केवाला वाली जमीन का कोई उल्लेख नहीं है। भूधारी कमला प्रसाद भगत ने वंशवृक्ष के साथ जिसमें कमला प्र0 भगत के तीन वयस्क पुत्र बिहारी लाल भगत, राम जतन भगत, शिव पूजन भगत के नाम का उल्लेख है, के साथ इस आशय का एक शपथ पत्र दिनांक 04.05.1975 ई0 को भी दाखिल किया गया है कि उन्हें (कमला प्र0 भगत, बिहारी लाल भगत एवं परिवार के अन्य सदस्य) इस 25 एकड़ 11 डी0 जमीन के अलावे अन्य कहीं कोई जमीन नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि यदि फर्जी केवाला से संबंधित जमीन उनके या उनके पुत्र बिहारी लाल भगत के दखल कब्जे में होती तो वे इस जमीन को भी अपनी जमीन बताते हुए रिटर्न (भू विवरणी) दाखिल करते, जो नहीं किया गया है। इनका यह भी कहना है कि वर्ष 1984 ई0 में वाद भूमि खाता नं0 249, खेसरा सं0 2211 में जो एक आम गाछ सभी फरीकेन मिलकर बिक्री किये थे ओर जिसका मूल्य आठ सौ रूपया था उस बिक्रीनामा कागज पर उक्त बिहारी लाल भगत के पिता–कमला प्र0 भगत, जवाहर लाल भगत (वर्त्तमान विपक्षी सं0 1) एवं अन्य फरीकेन का हस्ताक्षर हुआ था, जिससे यह स्वतः साबित हो जाता है कि उक्त फर्जी केवाला वाली जमीन पर हम विपक्षी जवाहर लाल भगत का दखल–कब्जा सही है।

इनका यह भी कहना है कि विपक्षी जवाहर लाल भगत के पिता मोती लाल भगत एवं बालेश्वर भगत ने इस जमीन को महाजन से बचाने के लिए फर्जी केवाला कर रखा था क्योंकि 6 एकड़ 11¾ डी0 का मूल्य मात्र 1995 रू0 दिया गया जबकि उस समय उस जमीन का मूल्य 40 हजार रूपये से अधिक का था जो अंचल कार्यालय में दाखिल अगल–बगल के केवाला से भी स्पष्ट है। साथ हीं यदि हम विपक्षी के पूर्वजों को वस्तुतः रूपये की आवश्यकता होती तो वे घर के नजदीक की जमीन को छोड़कर क्यों नहीं घर से दूर की जमीन बेचते जिससे यह सिद्ध होता है कि उनके पूर्वजों द्वारा कोई जमीन की बिक्री नहीं की गई थी, बल्कि महाजन से जमीन को बचाने के लिए फर्जी अन्तरण किया गया था। नामान्तरण हेतु जमीन पर दखलकार बना रहना एक महत्वपूर्ण बिन्दु है किन्तु उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहारी लाल भगत या उनके वारिसान जमीन पर कभी भी दखलकार नहीं रहे है। साथ ही कथित फर्जी केवाला के 22 वर्ष बाद सर्वप्रथम सिर्फ बिहारी लाल भगत की ओर से अंचल कार्यालय में नामांतरण हेतु आवेदन पत्र दायर किया गया। जबकि दूसरे फर्जी केवालादार कन्हाई लाल भगत ने कभी भी बिहारी लाल भगत का इस गलत कार्य में साथ नहीं दिया तथा यद्यपि कि

15.4.17

इस म्यूटेशन रिभिजन में उसे विपक्षी तृतीय पक्ष सं0 14 बनाया गया है, किन्तु उन्होंने उनका कोई समर्थन नहीं किया। इस प्रकार अंचल अधिकारी, अररिया के द्वारा स्थलीय जाँच कर एवं उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जो अस्वीकृति का आदेश पारित किया गया एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा जो उक्त म्यूटेशन अपील को खारिज किया गया है, वह बिल्कुल सही, सत्य पर आधारित एवं वैद्य है। अतः न्यायहित में पुनरीक्षणकर्त्ता के पुनरीक्षण आवेदन को रद्द करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेखों का परिशीलन तथा संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत केवाला सं0 5292, दिनांक 25.4.1960 कुल रकवा 6.11¾ ए0 का मूल्य केवाला में 1995 रू0 दिया गया है, जबकि उस समय अन्य बिक्री किये गये केवाला के आधार पर इस बिक्री भूमि का मूल्य लगभग 40,000.00 रू0 होता है। अतः यह वस्तुतः सही बिक्री नहीं माना जा सकता है। यह केवल बेनामी बिक्री ही हो सकता है। यह भूमि कन्हैया लाल भगत, पिता–विश्वनाथ भगत तथा बिहारी लाल भगत, पिता–कमला प्र0 भगत के नाम से क्रय की गई थी, जबकि नामान्तरण का दावा मात्र बिहारी लाल भगत एवं वर्त्तमान में उनके उत्तराधिकारी द्वारा किया जा रहा है। दूसरे क्रेता कन्हैया भगत द्वारा प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का दावा नहीं किया जा रहा है। भूहदबंदी वाद सं0 32/1973–74 में भूधारी द्वारा दाखिल रिटर्न में इनके द्वारा धारित भूमि में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यदि ये भूमि उनकी होती तो अवश्य इसे रिटर्न में दाखिल करते किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। साथ ही उनके द्वारा कुल धारित जमीन के संबंध में इस आशय का शपथ पत्र दाखिल किया गया है कि रिर्टन में दाखिल जमीन के अलावा उनके या उनके परिवार के नाम अन्य कोई जमीन नहीं है। प्रश्नगत केवाला 5262, दिनांक 25.04.1960 के अवलोकन से स्पष्ट है कि क्रेता कन्हैया लाल भगत, पिता–विश्वनाथ भगत वो बिहारी लाल भगत , पिता–कमला प्र0 भगत ने मौजा–अररिया बस्ती के खाता सं0 246, रकवा 6.11¾ ए0 भूमि मात्र 1995.00 रू0 में क्रय किया है, जिससे स्पष्ट है कि इस खरीदगी भूमि में दोनों फरीकेन आधे के हिस्सेदार है, जबकि इसके लिये केवल एक हिस्सेदार के वारिशानों द्वारा ही दावा किया जा रहा है।

पुनरीक्षणकर्त्ता एवं उनके पूर्वजों द्वारा वर्ष 1960 में केवला खरीदगी के बाद 21–22 वर्ष तक नामान्तरण नहीं कराया जाना भी उनके केवाला के औचित्य को संदेहात्मक साबित करता है। जहाँ तक प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा का प्रश्न है, तो वर्त्तमान में अंचल अधिकारी, अररिया के पत्रांक 1066, दिनांक 04.05.2015 से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर पुनरीक्षणकर्त्ता का दखल कब्जा नहीं है बल्कि विपक्षी एवं विपक्षी द्वारा बिक्री किये गये अन्य क्रेताओं का पक्के का मकान मय सहन, दुकान के रूप शांतिपूर्ण दखल–कब्जा कायम है।

अतएव उपरोक्त तर्कों एवं विवेचना से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर

15.4.17

पुनरीक्षणकर्त्ता का पूर्व से दखल कब्जा नहीं है। साथ हीं प्रश्नगत भूमि को लेकर पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा वर्त्तमान में मान्नीय मुंसफ न्यायालय, अररिया में कई स्वत्व वाद दायर कर रखा है, जो विचाराधीन है। अतः नामान्तरण अपील वाद सं0 56/1983–84 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 14.01.1958 को विधि सम्मत पाते हुए उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, जिसे बहाल रखते हुए पुनरीक्षणकर्त्ता के पुनरीक्षण दावे को अस्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया एवं अंचल अधिकारी, अररिया को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संसोधित

अपर समाहर्त्ता
अररिया

15.4.17
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ज्ञापांक 37 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 15 / 04 /2017

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को नामान्तरण अपील वाद सं0 56/1983–84 मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक : ना0 अपील वाद सं0 56/1983–84 मूल में।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.4.17
अपर समाहर्त्ता
अररिया